प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
लखनऊ ।

2- कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

3- निदेशक,
संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या- एम0ई0/बजट/2017-18/3910 दिनांक 20 मार्च, 2018 के माध्यम से के0जी0एम0यू0, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अर्न्तगत राजस्व पक्ष में असाध्य रोग के इलाज हेतु लम्बित देनदारियों के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में अनुपूरक सहित प्राविधानित धनराशि रू0 4100.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-48/2017/1665/71-2-17-18/2012, दिनांक 13 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्या-60/2017/3063/71-217-18/2012, दिनांक 31 अगस्त, 2017, शासनादेश संख्या-70/2017/ 3748/71-2-17-18/2012, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017, शासनादेश संख्या-98/2017/3250/71-2-17-18/2012 दिनांक 26 दिसम्बर, 2017, शासनादेश संख्या-15/2018/430/71-2-18-18/2012 दिनांक 30 जनवरी, 2018 तथा शासनादेश संख्या-46/2018/633/71-2-18-18/2012 दिनांक 13 मार्च, 2018 द्वारा कुल रू0 4100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अर्न्तगत राजस्व लेखा के अर्न्तगत लेखाशीर्षक "2210-05-105-03-13-चिकित्सा स्नातको के लिए अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप छात्रवृत्तियां-21-छात्रवृत्तिया और छात्रवेतन मद में रू0 100.00 लाख" तथा "लेखाशीर्षक "2210-05-105-03-75-रायबरेली रोड स्थित ट्रामा सेन्टर में प्रथम 24 घण्टे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु-39-औषधि तथा रसायन मद में रू0 1000.00 लाख अर्थात कुल रू0 1100.00 लाख (रूपए ग्यारह करोड मात्र) की हो रही सम्भावित बचत को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बी0एम-9 में उल्लिखित मदों में संक्रमित कर, संक्रमित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित संस्थान/चि0वि0वि0 को धनराशि व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0	**मे0का0/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम**	**धनराशि (लाख में)**
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ।	800.00
2	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	100.00
3	एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।	200.00
	योग-	**1100.00**

4- अवमुक्त की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग नियमानुसार सुनिश्चित किया जोयगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।

6- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

7- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

8- जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है उसमें इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग पुन: नहीं की जायेगी तथा जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उसका उपयोग इसी मद में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

9- बजट की धनराशि की उपलब्धता का पूर्ण दायित्व संस्थान के निदेशक/कुलसचिव/वित्त अधिकारी का होगा।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा,शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा तथा लेखाशीर्षक "2210-05-105-03-13-चिकित्सा स्नातको के लिए अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप छात्रवृतियां-21-छात्रवृतिया और छात्रवेतन मद से रू0 100.00 लाख" एवं "लेखाशीर्षक "2210-05-105-03-75-रायबरेली रोड स्थित ट्रामा सेन्टर में प्रथम 24 घण्टे नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु-39-औषधि तथा रसायन मद से रू0 1000.00 लाख" पुनर्विनियोग कर वहन किया जाएगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/891 /दस-2018, दिनांक 26 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-68/2018/936(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान।
4. संबंधित कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।
5. संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।